न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 16/2024(GCMS 2024/23)
(आरटीआई नं. 212687148035724)
बंसीलाल पुत्र जोधाराम जाति बिश्नोई निवासी 54 एलएनपी तहसील पदमपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधकारी श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बंसीलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2024 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगाकर, दोषी कार्मिकारों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी बंसीलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. प्रार्थी ने मुरब्बा नं. 35 रामकुमार पुत्र हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी 55 एलएनपी तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर, तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर के पत्रांक राजस्व/08/1017 दिनांक 20.10.08 व उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के पत्रांक राजस्व/08/1974 दिनांक 14.10.2008 के पत्रांक की सूचना व प्रमाणित प्रति जिसके तहत रामकुमार पुत्र हरचन्द जाति बिश्नोई ने मुरब्बा नं. 35 में सड़क बनाने हेतु बिना प्रार्थी के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

परिवार व जोधाराम के अनुमति के सड़क का निर्माण स्वीकृत किया है, उस सहमति पत्र, तहसीलदार का पत्रांक व उपखण्ड अधिकारी का पत्रांक की प्रमाणित प्रति व समस्त पत्रावली की सड़क निर्माण सम्बन्धित पत्रों की सूचना व प्रमाणित प्रति।

2. उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के पत्रांक 5907 दिनांक 18.12.23 में अंकित बिन्दु संख्या 2, 3, 9, 10, 11 व 12 की सूचना, जो प्रार्थी द्वारा दिनांक 6.12.23 को मांगी गयी है।

अपीलार्थी बंसीलाल ने अपील के साथ उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा उसे जो जवाब दिया है, उसकी प्रति संलग्न की है, जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया हैः

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 2, 3, 9, 10, 11, 12 की सूचना उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/2008/1974 दिनांक 14.10.2008 से संबंधित है। अतः आप उक्त बिन्दुओं की सूचना उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से प्राप्त करें।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक विविध/आर.टी.आई../2024/32 दिनांक 15.03.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिए तहसीलदार, पदमपुर के पत्रांक 01 दिनांक 09.01.2024 से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। सूचना आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने उक्तानुसार अपील का जवाब दिया है। **अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ उसके द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 2, 3, 9, 10, 11, 12 अंकित कर सूचना चाही गई है और मूल प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है, जिससे यह ज्ञात नही होता कि वास्तव में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से क्या सूचना गई है।** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि यदि **अपीलार्थी वांछित सूचना के सम्पूर्ण आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करें, तो कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध सूचना, उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के** प्रावधानानुसार **दिया जाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर